न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 64/2021

शीर्षक

1. रामचन्द्र पुत्र भगवान सहाय
2. भैरूराम पुत्र कल्याण सहाय

समस्त जाति मीणा, उम्र–व्यस्क, निवासी कांट, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र ओमकार
2. मालीराम पुत्र ओमकार
3. सुन्दर पुत्र ओमकार
4. सरदार पुत्र ओमकार
5. पूरण पुत्र हनुमान
6. पांचू पुत्र हनुमान
7. महेन्द्र पुत्र हनुमान
8. सांवरमल पुत्र हनुमान
9. सुशीला पुत्री हनुमान

   समस्त जाति मीणा, उम्र–वयस्क, निवासी कांट, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

10. प्रबन्धक सिडीकेंट बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
11. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
12. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 26.10.2021

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0–2465/0.72, 2466/0.95, 2467/0.26, 2468/0.24, 2469/0.30 कुल किता–5 कुल रकबा 2.47 है0 वाकै ग्राम देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान में 1/2 भाग वादीगण एवं शेष 1/2 भाग प्रतिवादी सं0–01 लगायत 09 एवं मृतका छोटी देवी के नाम दर्ज है। मृतका छोटी देवी के वारिसान प्रतिवादी सं0–01 लगायत 09 है। उक्त जिमन में वर्णित आराजी भूमि को आगे के पैराज में वाद ग्रस्त सम्पति के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
2. यह है कि वादग्रस्त सम्पति का वादीगण के पूर्वज भगवान सहाय एवं कल्याण सहाय प्रतिवादी सं0–01 लगायत 09 के पूर्वज ओमकार ने राजीखुशी बाहमी बंटवारा कर लिया था जिसमें हाल खसरा नं0– 2465/0.72 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0–2467/0.26 है0 सम्पूर्ण, खसरा नं0–2468/0.24 है0 सम्पूर्ण एवं 2469/0.30 है0 में से 4.5 एयर दक्षिण पश्चिम कोने में हाल खसरा नं0–2468 से लगती भूमि जो कि हाल खसरा नं0–1129 की पूर्वी सीमा तक है आयी थी उक्त 4.5 एयर भूमि कोने में वादीगण को अपनी दीगर भूमि हाल खसरा नं0–1129 स्थित वाकै ग्राम कांट तह0 शाहपुरा में आने जाने में परेशानी नहीं हो एवं वादी को अपने दीगर जोत में पहुंच के लिए दी गयी थी वादीगण का पूर्वज मुताबिक बाहमी बंटवारा काबिज होकर काश्त करते रहे है बाहमी बंटवारे में सरस नरस एवं भूमि की उपयोगिता को ध्यान में रखकर बाहमी बंटवारा किया गया था प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि की उत्तरी दिशा में काफी सवाई चक भूमि है जिसका वर्तमान में भी कब्जा प्रतिवादीगण के पास है वादीगण को हाल खसरा नं0–2469 की दक्षिणी पश्चिमी कोने की 4.5 एयर भूमि सरस नरस एवं प्रतिवादी की भमि के समान वादीगण की भूमि का उपयोगी बनाने एवं वादीगण की दीगर भूमि हाल खसरा नं0–1129 स्थित वाकै ग्राम कांट एवं बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि हाल खसरा नं0–2468 एक जोड कर मिलाने के लिए दी गई थी ताकि वादीगण बिना किसी बाधा के अपने जोतों में आ सके एवं निर्बाध रूप से काश्त कर सके।
3. यह है कि वादीगण की वाकै ग्राम कांट में हाल आराजी खसरा नं0–1129 आराजी भूमि है जिसकी उत्तरी सीमा से आराजी खसरा नं0–2469 की दक्षिणी सीमा लगती है हाल खसरा नं0–2469 की दक्षिण पश्चिम कोने की 4.5 एयर भूमि जो कि हाल खसरा नं0–2468 से लगती है एवं हाल खसरा नं0–1129 की पूर्वी सीमा तक है उक्त दोनों खसरा नम्बरान में वादीगण को आवाजाही एवं सुगमता पूर्वक काश्त करने के लिए दी गई थी एवं प्रतिवादी को भी सुगमता से अपनी जोत में पहुंचने के लिए रास्ते के पास वाली भूमि दी गई थी प्रतिवादीगण की भूमि मौके पर रास्ता से लगती है बाहमी बंटवारे में वादीगण के हिस्से में आयी भूमि को बरंग लाल एवं प्रतिवादी सं0–01 लगायत 09 के हिस्से में आयी भूमि को बरंग हरे से प्रदर्शित किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

4. यह है कि वादीगण के पिता को बाहमी बंटवारे में आयी भूमि जो कि नजरी नक्शे में बरंग लाल से प्रदर्शित की गयी है में अपने जीवनकाल में दो कमरो के मकान, पशुओं का कच्चा बाडा इत्यादि का निर्माण करवाया था वादीगण के पिता की मृत्यु के होने पर वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर लाखों रूपये खर्च कर समतल एवं उपजाउ बनाया एवं सुविधा का विस्तार कर पक्का मकान पशुओं का पक्का तामीरातशुदा बाडा पानी का होद फसलों को रखने का पक्का निर्माण इत्यादि का निर्माण करवाया एवं लाखों रूपये अपनी भूमि पर खर्च किया है जबकि प्रतिवादीगण ने अपने भूमि पर किसी प्रकार की कोई राशि खर्च नहीं किया है ना ही अभी तक किसी भी प्रकार का निर्माण किया है।

5. यह है कि प्रतिवादी सं0–01 लगायत 09 कुछ अर्से से वादीगण से नाजायज रूप से द्वेषता रखते है एवं वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत उत्पन्न करने लग गये है एवं वादीगण को आये दिन उसके कब्जे से जबरन बेदखल करने एलानियां धमकी देते रहते है प्रतिवादीगण, वादीगण से द्वेषता रखते है एवं वादीगण को बाहमी बंटवारे में मिली भूमि से जबरन बेदखल करने एवं स्वयं काबिज होने की धमकी देते रहते है बाहमी बंटवारे में वादीगण को प्राप्त भूमि हाल खसरा नं0–2469 की दक्षिण पश्चिमी कोने में प्रतिवादीगण अवैधानिक रूप से पक्का निर्माण को आमादा हो गया एवं वादीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कर लेगे वादीगण ने बमुश्किल से प्रतिवादीगण को रोका एवं समझा बुझाकर वापस भेजा।

6. यह है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को दीगर भूमाफिया व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पति को बेचान करने पर आमादा है प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पति का बिना विधिक बंटवारा किये विशिष्ट भू–भाग को बेचान कर देंगे या किसी विशिष्ट भू–भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कर लेंगे तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धन के रूप में किया जाना संभव नहीं होगा।

7. यह है कि वादीगण के पूर्वजो एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने वादग्रस्त सम्पति का बंटवारा आपस में भूमि की समान उपयोगिता एवं उपयोग उपभोग की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था एवं हिस्से की पूर्ण भूमि हिस्सा 1/2 भूमि मौके पर दी गई थी प्रतिवादीगण की हिस्सा 1/2 भाग की उक्त भूमि उत्तरी दिशा में रास्ते से लगती है जिससे प्रतिवादीगण को अपनी भूमि में आवागमन में असुविधा नहीं हो एवं प्रतिवादी को नजरी नक्शे में बरंग हरे की भूमि दी गई थी वादी को उसका दर्ज हिस्सा 1/2 भाग की भूमि ही मौके पर दी गई थी हाल आराजी खसरा नं0–2469 की दक्षिण पश्चिम कोने की भूमि 4.5 एयर भूमि वादी के हिस्से की भूमि हाल खसरा नं0–2468 एवं दीगर खसरा नं0–1129 वाकै ग्राम कांट में आने जाने एवं दोनों खसरा नं0 का एक जोड करने के लिए दी गई थी जो कि खसरा नं0–1129 की पूर्वी सीमा तक है वादीगण बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि पर सुगमता से आ जा सके एवं बिना किसी बाधा के काश्त कर सके अब प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के खसरा नं0–2469 के दक्षिण पश्चिम कोने में निर्माण कर वादीगण को बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है उक्त कोने में निर्माण से वादीगण की सम्पूर्ण भूमि अनुपयोगी हो जायेगी।

8. यह है कि अर्सा–03 दिन पूर्व वादीगण अपनी भूमि की सार सम्भाल कर रहे थे प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 09 अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर वादग्रस्त सम्पति पर आ गये एवं हाथो के इशारे से वादग्रस्त सम्पति को बताने लगे वादीगण ने उक्त लोगों से भूमि बताने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण एकदम से नाराज हो गये एवं एलानियां धमकी दी कि उक्त लोगों को हम भूमि का बेचान कर रहे है उक्त बाहुबली भू–माफिया लोग है जो कि बाहुबल से तुम्हारी भूमि पर कब्जा कर लेंगे एवं तुम्हे जबरन बेदखल कर देंगे, जिससे बिनाय वाद कारण उत्पन्न हुआ एवं वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

9. यदि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबों में सफल हो गये और उन्होंने वाद ग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा कराये बिना ही आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लेंगे व आराजी के विशिष्ट भू–भाग का बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करा देंगे तथा उसके आधार पर आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराकर वादीगण को बाहमी बंटवारा में आयी भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तो वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा एवं पक्षकारों को अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी जिसके कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना भी न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

10. अन्त में निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी फरमाया जाकर आराजी ख0नं0–2465/0.72, 2466/0.95, 2467/0.26, 2468/0.24, 2469/0.30 कुल किता–5 कुल रकबा 2.47 है0 वाकै ग्राम देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी सं0–01 लगायत 09 के मध्य नियमानुसार बंटवारा किया जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ताकि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रति0स0–01 लगायत 09 प्रशासन गांवों के संग अभियान देवन में उपस्थित हुए। उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार अंतिम डिकी किए जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

अतः दावा मुताबिक राजीनामानुसार अंतिम डिकी किया है कि आ0ख0न0 2465 रकबा 0.72 है0 सम्पूर्ण, ख0न0 2467 रकबा 0.26 है0 सम्पूर्ण, 2468 रकबा 0.24 है0 सम्पूर्ण तथा 2469 रकबा 0.30 है0 में से 0.0150 है0 दक्षिण पश्चिम दिशा में हाल खसरा नं0 2468 के दक्षिण पूर्व के कोने से लगती हुई भूमि वाकै ग्राम देवन तह0 शाहपुरा जयपुर, वाकै ग्राम कांट तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल खसरा नं0 1129 के उत्तर पूर्व के कोने से लगती हुई भूमि, वादीगण के हिस्से में रहेगी तथा आराजी खसरा नं0 2466 रकबा 0.95 है0 सम्पूर्ण, तथा 2469 रकबा 0.285 है0 प्रतिवादीगण के हिस्से में रहेगी। राजीनामा निर्णय का जूज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादी व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे राजीनामाअनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 64/2021

शीर्षक

1. रामचन्द्र पुत्र भगवान सहाय
2. भैरूराम पुत्र कल्याण सहाय

समस्त जाति मीणा, उम्र–व्यस्क, निवासी कांट, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र ओमकार
2. मालीराम पुत्र ओमकार
3. सुन्दर पुत्र ओमकार
4. सरदार पुत्र ओमकार
5. पूरण पुत्र हनुमान
6. पांचू पुत्र हनुमान
7. महेन्द्र पुत्र हनुमान
8. सांवरमल पुत्र हनुमान
9. सुशीला पुत्री हनुमान

समस्त जाति मीणा, उम्र–वयस्क, निवासी कांट, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

10. प्रबन्धक सिडीकेंट बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
11. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
12. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 26.10.2021

अतः दावा मुताबिक राजीनामानुसार अंतिम डिक्री किया है कि आ0ख0न0 2465 रकबा 0.72 है0 सम्पूर्ण, ख0न0 2467 रकबा 0.26 है0 सम्पूर्ण, 2468 रकबा 0.24 है0 सम्पूर्ण तथा 2469 रकबा 0.30 है0 में से 0.0150 है0 दक्षिण पश्चिम दिशा में हाल खसरा नं0 2468 के दक्षिण पूर्व के कोने से लगती हुई भूमि वाकै ग्राम देवन तह0 शाहपुरा जयपुर, वाकै ग्राम कांट तह0 शाहपुरा जयपुर के हाल खसरा नं0 1129 के उत्तर पूर्व के कोने से लगती हुई भूमि, वादीगण के हिस्से में रहेगी तथा आराजी खसरा नं0 2466 रकबा 0.95 है0 सम्पूर्ण, तथा 2469 रकबा 0.285 है0 प्रतिवादीगण के हिस्से में रहेगी। राजीनामा निर्णय का जूज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादी व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे राजीनामाअनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

निर्णय आज तारीख 26.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

[मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान]

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	
जोड			